न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 93/2025 बउनवानी सरोज कुमार मीना बनाम तहसीलदार वजीरपुर
निवासी एच.एन.–1,ए–14 न्यू हाउसिंग बोर्ड फेज–2,खोडा गणेशजी रोड किशनगढ अजमेर

GCMS No-2025/ 244 **Appeal Number- 321781176533479**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
16.9.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 20.7.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर "*ग्राम किशोरपुरा के खाता संख्या 1458 वर्तमान खाता संख्या 57 की सन् 1976 से आज दिनांक तक की गिरदावरी, सेटलमेंट से पूर्व के नक्शे एवं बाद के नक्शे तथा किये गये आवंटन आदेश सहित कुल 3 बिन्दुओ की प्रमाणित सूचना*" तहसीलदार वजीरपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः भू0अ0/आरटीआई/2025/98 दिनांक 3.9.2025 एवं पत्रांक 837 दिनांक 12.9.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि बिन्दु संख्या 1 की सूचना तहसील मे नियमानुसार नकल का आवेदन पत्र पेश करने प्राप्त करने प्रार्थी को लिखा गया है तथा बिन्दु संख्या 2 मे चाही गयी सेटलमेंट से पूर्व के नक्शें की नकल जिला कार्यालय से लेने बाबत प्रार्थी को लिखा गया है तथा बिन्दु संख्या 3 व 4 की सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही होने के कारण अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 20.7.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना नकल प्रकिया District Manual and Revenue Court manual के अनुरूप होने के कारण उक्त सूचना नियमानुसार नकल हेत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकता है। किन्तु बिन्दु संख्या 2 की सूचना के लिए अपीलान्ट का आवेदन पत्र तत्समय जिला कार्यालय को अन्तरित किया गया हो ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया है अर्थात लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु संख्या 2 की सूचना के लिए अपीलान्ट का आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत जिला कार्यालय को अन्तरित नही किया है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि लोक सूचना अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रति सजग नही है और ऑन लाईन पोर्टल भी अपडेट नही है। ऐसी स्थिति मे लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत ऑनलाईन पोर्टल एवं ऑफ लाईन के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रो पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए प्राथमिकता से अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नियत समयावधि में निस्तारण किया जावे। अपीलान्ट उक्त सूचना के लिए पूर्ण विवरण के साथ संबंधित लोक सूचना अधिकारी को नये सिरे से आवेदन पेश कर सकता है। बिन्दु संख्या 3 व 4 की सूचना प्रश्नात्मक होने एवं चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण दिया जाना आवश्यक नही है। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो[illegible] तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Kana Ram Date: 2025.10.21 15:39:20 IST Reason: SelfAttested (काना राम) जिला क[illegible] सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner